इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 9001-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 16 | अंक संख्या 1 | अगस्त, 2023 | पृष्ठों की संख्या - 9

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
विनियामक का कथन 3
उत्पाद एवं गठजोड़.....4
आर्थिक संवेष्टन 4
नई नियुक्तियाँ 5
विदेशी मुद्रा 5
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां 6
संस्थान समाचार 7
नयी पहलकदमी 8
बाजार की खबरें 8

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

सुविधाजनक सीमा-पार अंतरणों, निवेशों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, सीबीयूएई के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित

भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय बैंक संयुक्त अरब अमीरात (CBUAE) ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के अपेक्षाकृत व्यापक ध्येय पर नजर रखते हुये सीवन-रहित सीमा-पार वित्तीय लेनदेनों को सुगम बनाने के उद्देश्य से दो समझौता ज्ञापन (MOUs) हस्ताक्षरित किए हैं।

पहले समझौता ज्ञापन का आशय दोनों देशों के बीच निवेशों एवं विप्रेषणों के अतिरिक्त सीमा-पार लेनदेनों के लिए स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देना है। यह समस्त चालू खाता लेनदेनों तथा अनुमत पूंजीगत खाता लेनदेनों के लिए भारतीय रुपए और संयुक्त अरब अमीरात के दिरहाम (AED) के द्विपक्षीय उपयोग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली (LCSS) की स्थापना करेगा।

भुगतान और संदेश प्रेषण प्रणालियों से संबंधित दूसरे समझौता ज्ञापन के जरिये भारत की एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) भुगतान प्रणाली को संयुक्त अरब अमीरात के इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफार्म (IPP) के साथ अंतर-सम्बद्ध (interlink) किया जाएगा। इस सम्बद्धता से त्वरित, सुविधाजनक, सुरक्षित एवं किफ़ायती सीमा-पार निधि अंतरणों को बढ़ावा मिलेगा। उक्त समझौता ज्ञापन घरेलू (domestic) कार्डों की पारस्परिक स्वीकृति एवं कार्ड लेनदेनो के प्रसंस्करण/संसाधन के लिए उनके संबंधित कार्ड स्विचों यथा- रूपे स्विच और यूएई स्विच को सम्बद्ध करने में भी उपयोगी सिद्ध होगा। इसके अतिरिक्त, यह इस संभावना का भी पता लगाएगा कि उनकी संबन्धित भुगतान संदेश प्रेषण प्रणालियों- यथा भारत की संरचनागत वित्तीय संदेश प्रेषण प्रणाली (SFMS) तथा संयुक्त अरब अमीरात की संदेश प्रेषण प्रणाली को सम्बद्ध किया जा सकेगा।

सेबी कॉरपोरेट ऋण बाजार को बढ़ावा देने हेतु सीडीएमडीएफ की शुरूआत करेगा

निवेशकों के बीच विश्वास पैदा करने तथा कारपोरेट ऋण बाजार विकसित करने के लिए बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि (CDMDF) की शुरूआत करने की तैयारी कर रहा है।

कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि के अधीन पारस्परिक निधियों (MFs) को उक्त निधि में प्रबंधनाधीन निर्धारित ऋणगत (debt) आस्ति के 25 आधार अंक (bps) का अंशदान करना होगा। प्रारम्भिक अंशदान विनिर्दिष्ट पारस्परिक निधि योजनाओं (ऋण-उन्मुख निधियों सहित, एक-दिवसीय (overnight) और श्रेष्ठ (gilt) निधियों के अतिरिक्त) की पिछले दिसंबर के अंत की प्रबंधनाधीन आस्ति (AUM) पर आधारित होगा।

कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि प्रतिभूतियों की खरीद गौण (secondary) बाजार से करेगी। यह केवल निवेश श्रेणी के साख श्रेणी निर्धारण वाली तथा पाँच वर्षों या क्रय –तिथि को पाँच वर्ष से कम की अवशिष्ट परिपक्वता वाली प्रतिभूतियाँ ही खरीदेगी। यह कोई भी ऐसी प्रतिभूति नहीं खरीदेगी जो गैर-सूचीबद्ध हो अथवा निवेश श्रेणी से नीचे या चूकगत श्रेणी (अथवा चूक की संभावना) या प्रतिकूल साख समाचारों अथवा विचारों वाली हो।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाधीन आस्ति के 25 आधार अंक का कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि में निवेश किया जाए, निर्धारित ऋण योजनाओं को उनकी प्रबंधनाधीन आस्ति में वृद्धि होने पर प्रत्येक छः माह में वृद्धिशील अंशदान करना होगा। तथापि, प्रबंधनाधीन आस्ति में कमी होने की स्थिति में कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि कोई वापसी या मोचन (redemption) सुविधा नहीं प्रदान करेगी। प्रबंधनाधीन आस्तियों द्वारा अंशदान में विलंब किए जाने की स्थिति में उन्हें विलंबित अवधि के लिए दंडस्वरूप ब्याज के रूप में 15 % प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।

सेबी ने निवेशकों, मध्यवर्ती संस्थाओं के लिए नई विवाद समाधान व्यवस्था तैयार की

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने निवेशकों एवं पारस्परिक निधियों, पोर्टफोलियो प्रबन्धकों, निवेश सलाहकारों तथा दलाली संस्थाओं (brokerages) जैसी मध्यवर्ती संस्थाओं बीच विवाद समाधान और परिवाद निवारण व्यवस्था का एक नया ढांचा तैयार किया है।

अद्यतन संशोधनों के परिणामस्वरूप अब निवेशकगण उन्हें उपलब्ध कराये गए समाधान से असंतुष्ट होने पर एक अभिहित निकाय द्वारा पुनरीक्षण की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। पहले पुनरीक्षण के उपरांत भी निवेशक के असंतुष्ट रहने की स्थिति में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा दूसरा पुनरीक्षण किया जाएगा।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की शिकायत निवारण प्रणाली (SCORES) का नवीयन करने के अपने प्रयास में बाजार विनियमक ने समयोचितता में कमी लाने, निर्धारित समयोचितता का पालन न किए जाने की स्थिति में शिकायतों के स्वत: मार्ग (auto-routing) अपनाए जाने तथा उनमें स्वत: वृद्धि (auto-escalating) हो जाने की प्रणाली लागू की है।

वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि तथा एएमसी पुनर्खरीद समाशोधन लिमिटेड की शुरूआत की

वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि (CDMDF) का उदघाटन किया तथा एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड (ARCL) नामक सीमित उद्देश्य वाली समाशोधन निगम व्यवस्था के मुहूरत व्यापार की शुरूआत की है। इन दोनों ही पहलकदमियों का उद्देश्य कॉरपोरेट ऋण बाज़ारों की कार्यप्रणाली को गहनता प्रदान करना है।

कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास निधि एक ऐसी वैकल्पिक निवेश निधि (AIF) के रूप में होगी जिसका उद्देश्य तनाव वाले समयों के दौरान कॉरपोरेट बांड बाजार के सहभागियों में विश्वास पैदा करना तथा उसके साथ ही गौण बाजार की चलनिधि को बढ़ाना है। इसे राष्ट्रीय ऋण गारंटी न्यासी से गारंटी प्राप्त होगी।

वित्त मंत्री ने देश में कॉरपोरेट बांड बाजार को व्यापक बनाने तथा उसे गहनता प्रदान करने के उद्देश्य से एक सीमित उद्देश्य वाले समाशोधन निगम - एएमसी लिमिटेड के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियों में त्रिपक्षीय रेपो की शुरूआत भी की।

एएमसी रेपो ने रेपो बाजार में निपटान गारंटी उपलब्ध कराने के लिए प्राथमिक रूप से कॉरपोरेट बांड जारीकर्ताओं से अंशदान के साथ एक ऐसी मुख्य निपटान गारंटी निधि का गठन किया है जो द्विपक्षीय प्रतिपक्षी (counterparty) एक्सपोजर सीमाओं की जरूरत को समाप्त कर देगी।

विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का बैंकों को निर्देश : कॉरपोरेट अभिशासन को सुदृढ़ करें, सतर्क रहें

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने हाल ही में बैंक प्रतिकूल वैश्विक घटनाओं की पृष्ठभूमि में कॉरपोरेट अभिशासन को किस प्रकार सुदृढ़ रख सकते हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने हेतु सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रबंध निदेशकों एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की है। आपदाओं का सामना करते हुये उसके अच्छे कार्य-निष्पादन के लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली की सराहना करते हुये गवर्नर ने तब भी सावधान एवं सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों को बैंकिंग स्थिरता की तिपाई (tripod) यथा- अनुपालन, जोखिम प्रबंधन तथा लेखा-परीक्षा के कार्यों पर ध्यान क्यों केन्द्रित रखना चाहिए।

इसके अतिरिक्त उस बैठक में ऋण हामीदारी (underwriting) मानकों, बड़े एक्सपोजरों पर निगरानी, बाहरी बेंचमार्क सम्बद्ध दर (EBLR) से संबन्धित दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन, सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा को सशक्त बनाए जाने तथा सूचना प्रौद्योगिकी अभिशासन, ऋण आसूचना कंपनियों (CICs) के साथ सूचना में यथोचित समय पर एवं यथार्थपरक हिस्सेदारी और अपलेखित (written-off) खातों से वसूली को बढ़ाने जैसे कतिपय अन्य मुद्दों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री पात्रा ने मौद्रिक नीति के प्रति उधारदाई कुशलता एवं विश्वसनीयता के लिए सांख्यिकी की प्रशंसा की

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल देबब्रत पात्रा ने भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई में आयोजित सांख्यिकी दिवस सम्मेलन में व्याख्यान दिया। अपने भाषण में श्री पात्रा ने मौद्रिक नीति की जवाबदेही और विश्वसनीयता बढ़ाने में सांख्यिकी द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की सराहना की।

उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मौद्रिक नीति की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था की सुदृढ़ता एवं उसकी कार्यप्रणाली तथा उस बाहरी वातावरण जिसमें वह परिचालन करती है, के संबंध में उपलब्ध प्रत्येक सूचना के स्वांगीकरण (assimilating) और पद-निरूपण (parsing) द्वारा प्रारम्भ होती है। सांख्यिकी मौद्रिक नीति को उसके समझौताकारी समन्वयों (trade-offs) तथा अज्ञात (एवं ज्ञात भी) क्षेत्रों (terrains) के माध्यम से अनिश्चितता को एक मात्रात्मक (quantifiable) मूल्य तक घटाकर नैविगेट करने में समर्थ बनाती है। इसके बदले में यह पारंपरिक पूर्वानुमानों को संपूरित (complements) एवं वैधीकृत करती है तथा मौद्रिक नीति की कुशलता को बढाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री राव ने केंद्रीय बैंकों से वित्तीय आयोजना में जलवायु जोखिम को शामिल करने का आग्रह किया

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम॰ राजेश्वर राव ने हाल ही में ''केंद्रीय बैंकिंग के लिए जलवायु के निहितार्थ'' (Climate Implications for Central Banking) विषय पर आयोजित एक पैनल विचार-विमर्श में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुये श्री राव ने केंद्रीय बैंकों के लिए अपने पर्यवेक्षी ढांचे में जलवायु से संबन्धित जोखिमों को शामिल किये जाने की आवश्यकता को स्पष्ट किया। केवल हरित उद्यमों (green ventures) को वित्त उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं होगा, इसके लिए मौजूदा उत्सर्जक (emitting) फर्मों के लिए उनके उत्पादन एवं वृद्धि (output and growth) के साथ कोई समझौता किए बिना विश्वसनीय संक्रमण योजनाएँ भी होनी चाहिए।

विश्वभर के केंद्रीय बैंक अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रणालीबद्ध प्रभाव को समझने के लिए समुचित प्रयास कर रहे हैं तथा उनकी वित्तीय प्रणालियाँ नए रहस्योद्घाटनों के अनुरूप विकसित हो रही हैं।

श्री राव ने केंद्रीय बैंकों, वित्तीय फर्मों और अर्थव्यवस्था में वास्तविक भूमिका निभाने वालों के समक्ष जलवायु से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने तथा उनका आकलन करने और उनसे संबन्धित वित्तीय जोखिमों से निपटने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सक्षमता-निर्माण की योजना तैयार करने का प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर प्रभावी रूप से ज़ोर दिया। अपेक्षाकृत छोटी फ़र्मों एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को सहायता प्रदान करना सक्षमता-निर्माण के प्रयासों का एक अभिन्न अंग होगा। इन सभी उपायों की शुरूआत किए जाने पर ही मुख्य भूमिका निभाने वाले नवोन्मेष करने, रणनीतिक निर्णय लेने, पूंजी जुटाने तथा वहनीयता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी संक्रमण योजनाएँ बनाने में समर्थ हो सकेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक फिंटेक मानदंड तैयार कर रहा है : उप गवर्नर श्री टी॰ रबी शंकर

भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री टी॰ रबी शंकर ने इस बात की पुष्टि की है कि शीर्ष बैंक वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियों (Fintechs) के लिए उद्योग के परामर्श से विनियमन पर कार्य कर रहा है। जहां विविध फिन्टेक कंपनियाँ नवोन्मेष पर ध्यान केन्द्रित कर रही हैं, वहीं विनियमन पर अधिक बल दिये जाने की आवश्यकता है। नवोन्मेष को बढ़ावा दिये जाने और मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के बीच संतुलन लाये जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ''हम जिस फिंटेक अंतराल की बात कर रहे हैं उसका विनियमन स्वरूप की दृष्टि से अधिक विकासपरक है, क्योंकि अन्य अभिशासन आचरण (conduct) सुस्थापित है जिनमें कंपनियों को एक समान कार्यकलापों/गतिविधियों के लिए समरूप/एक जैसी विधि से विनियमित किया जाएगा।''

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिसके साथ गठजोड़ हुआ वह संगठन	उद्देश्य
इंडियन बैंक	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लि॰	परंपरागत कागज-आधारित प्रक्रियाओं से छुटकारा पाने हेतु ई-बैंक गवर्नेंस की शुरूआत करना

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा जारी मासिक आर्थिक समीक्षा, जून, 2023 की प्रमुख बातें

- जून, 2023 तिमाही में मुख्य मुद्रास्फीति 12 तिमाहियों के कमतर स्तर पर रही।
- जून 2023 तिमाही में थोक मूल्य सूचकांक (WPI) (-)2.8 प्रतिशत पर पहुँचने के लिए ऋणात्मक क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ।
- पूंजीगत माल और मूलभूत संरचना/निर्माण माल में उल्लेखनीय वृद्धि के परिणामस्वरूप अप्रैल - मई 2023 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) 4.6 प्रतिशत विस्तारित हुआ।
- जून 23 तिमाही में सेवा क्षेत्र के सभी संकेतक बढ़ते प्रक्षेप-पथ प्रदर्शित करते हैं।
- नए व्यवसायों में बढ़ोतरी, नौकरी सृजन में विस्तार और बढ़ती मांग द्वारा प्रेरित 2023 की जून तिमाही में पीएमआई सेवा विस्तारवादी क्षेत्र में स्थिर रही।
- जून 2023 की तिमाही में तिजारती निर्यात 15.1 प्रतिशत पर पहुँच गया। उसी तिमाही में तिजारती आयात 12.7 प्रतिशत पर पहुंचा, जिसके फलस्वरूप तिजारती व्यापार घाटा जून 2022 के (-) 62.6 बिलियन अमरीकी डालर से घटकर जून 2023 तिमाही में (-) 57.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।
- सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की तुलना में भारत का विदेशी ऋण भी मार्च 2022 के 20 प्रतिशत से घटकर मार्च 23 में 18.9 प्रतिशत रह गया।
- जून 23 की तिमाही में 11.9 बिलियन अमरीकी डालर के अंतर्वाह के फलस्वरूप विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) निवल खरीदार बन गया।
- भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान राजकोषीय वर्ष के पहले तीन महीनों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बैंक ऋण वृद्धि में वर्षानुवर्ष आधार पर कमी आई।
- 453 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात के फलस्वरूप विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने तिजारती निर्यात में भारत को 18वें स्थान पर पाया तथा वैश्विक तिजारती व्यापार में उसकी 1.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी रही।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री देबदत्त चंद	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, बैंक आफ बड़ौदा

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ		
मद	28 जुलाई, 2023 के दिन करोड रुपए	28 जुलाई, 2023 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. कुल प्रारक्षित निधियाँ	4967138	603870
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4403421	535337
1.2 सोना	369359	44904
1.3 विशेष आहरण अधिकार	151715	18444
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधियाँ	42642	5185

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

अगस्त, 2023 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	5.31
जीबीपी	4.9310
यूरो	3.403
जापानी येन	-0.071
कनाडाई डालर	5.0000
आस्ट्रेलियाई डालर	4.10
स्विस फ्रैंक	1.70246

मुद्रा	दरें
न्यूजीलैंड डालर	5.5
स्वीडिस क्रोन	3.645
सिंगापुर डालर	3.3329
हांगकांग डालर	5.08964
म्यांमार रुपया	3.01
डैनिश क्रोन	3.0260

स्रोत : www.fbil.org.in

शब्दावली

फिंटेक

अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक (BIS) का वित्तीय स्थिरता बोर्ड फिंटेक को प्रौद्योगिकीय रूप से समर्थित ऐसे वित्तीय नवोन्मेष के रूप में परिभाषित करता है जिसकी परिणति नए व्यवसाय माडेलों, अनुप्रयोगों, प्रक्रियाओं अथवा वित्तीय बाज़ारों और संस्थाओं पर किसी सम्बद्ध भौतिक प्रभाव के साथ उत्पादों तथा वित्तीय सेवाओं के प्रावधान/की व्यवस्था में हो सकती है।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

प्रबंधनाधीन आस्तियां

प्रबंधनाधीन आस्तियां (AUM) निवेशकों की ओर से किसी व्यक्ति अथवा संस्था/कंपनी द्वारा प्रबंधित निवेशों का कुल बाजार मूल्य होती हैं। प्रबंधनाधीन आस्तियां किसी निधि में या उसके बाहर धनराशि के प्रवाह तथा उन आस्तियों की कीमत के कार्य-निष्पादन को दर्शाने के लिए घटती-बढ़ती रहती हैं। किसी निधि के प्रबंधन शुल्क तथा खर्च की गणना प्राय: प्रबंधनाधीन आस्तियों (AUM) के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अगस्त, 2023 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
उन्नत कारपोरेट उधार पर कार्यक्रम	10 से 11 अगस्त, 2023	प्रौद्योगिकी पर आधारित
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त पर कार्यक्रम	17 से 19 अगस्त, 2023	
प्रमाणित ऋण व्यावसायिकों के लिए कार्यक्रम	17 से 19 अगस्त, 2023	
ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के लिए एक साधन के रूप में प्रभावी सम्प्रेषण पर कार्यक्रम	18 से 19 अगस्त, 2023	
बैंकों के लिए अनुशासन प्रबंधन, जांच/अन्वेषण एवं अनुशासनिक कार्रवाई/कार्यवाही पर कार्यक्रम	22 से 24 अगस्त, 2023	

शेयर बाजार के उतार-चढ़ावों (bourse game) के साथ खजाना परिचालनों पर कार्यक्रम (सहकारी बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए)	24 से 26 अगस्त, 2023	लीडरशिप सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, मुंबई
प्रमाणित खजाना व्यावसायिकों के लिए कार्यक्रम	28 से 30 अगस्त, 2023	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स - अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने संयुक्त रूप से जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का आयोजन किया

संस्थान ने जलवायु जोखिम एवं वहनीय वित्त पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) के साथ एक करार कर रखा है। उक्त पाठ्यक्रम की शुरूआत 23 मई, 2023 को सेंट रेगिया हाल, मुंबई में की गई। यह पाठ्यक्रम ई-शिक्षण (e-learning) के रूप में है जिसमें 4-6 घंटों के शिक्षण के उपरांत एक मूल्यांकन सत्र आयोजित किया जाता है। प्रमाणपत्र इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाएगा।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी – संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या उन्हें अधिक समसामयिक, सकल्पनात्मक बनाने तथा महत्तर मूल्य-वर्धन सुनिश्चित करने के लिए पुनरसंरचित एवं संशोधित कर दी गई है। इस संबंध में संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पाठ्यक्रम को संशोधित किए जाने की आवश्यकता पर सदस्यों को एक सदेश भी संबोधित किया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन विषयों, परीक्षा के स्वरूप, उत्तीर्णन की समय-सीमा, उत्तीर्णन मानदंड आदि के बारे में एक विस्तृत सूचना वेबसाइट पर भी डाली गई है। उक्त संक्रमण को अभ्यर्थियों के लिए अधिक अनुकूल बनाने हेतु नयी पाठ्यचर्या में पुरानी पाठ्यचर्या से कुछेक विषयों के लिए श्रेय (credits) दिये जाने की अनुमति दी गई है। संशोधित पाठ्यचर्या के अधीन परीक्षाएँ मई/जून, 2023 और उसके बाद से आयोजित की जाएंगी। संस्थान द्वारा निषेधात्मक (negative) अंक दिये जाने से संबन्धित नियम को आस्थगित कर दिया गया है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखें।

संशोधित जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के लिए छद्म जांच/परीक्षा सुविधा उपलब्ध

संस्थान जेएआईआईबी और सीएआईआईबी परीक्षाओं के संशोधित ढांचे के अधीन सभी विषयों के लिए प्रति विषय 100 रुपए (जोड़िए कर) की नाममात्र दर पर छद्म जांच/परीक्षा (mock-test) सुविधा उपलब्ध करा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी अधिक विवरण के लिए हमारी वेबसाइट –www.iibf.org.in देख सकते हैं।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

जुलाई - सितंबर, 2023 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: Digital Disruption – Challenges and Opportunities.

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा मार्च, 2023 से अगस्त, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा सितंबर, 2023 से फरवरी, 2024 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2023 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

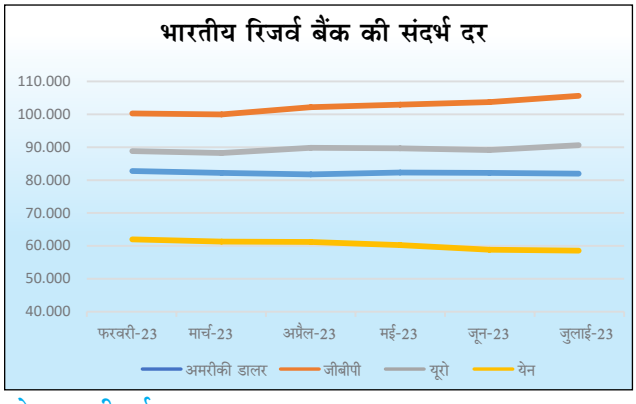

स्रोत: एफबीआईएल

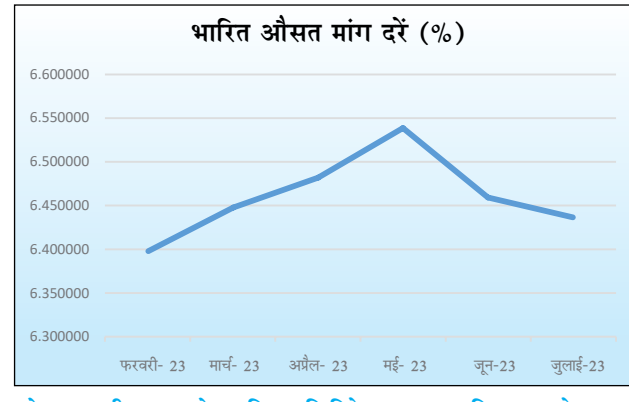

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

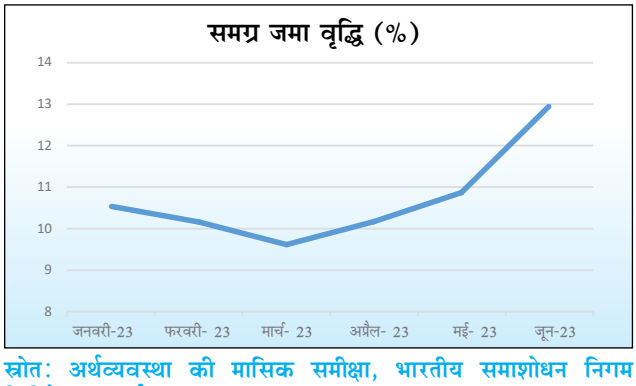

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2023

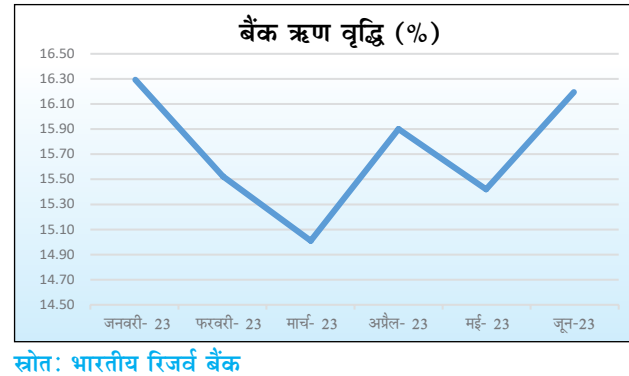

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

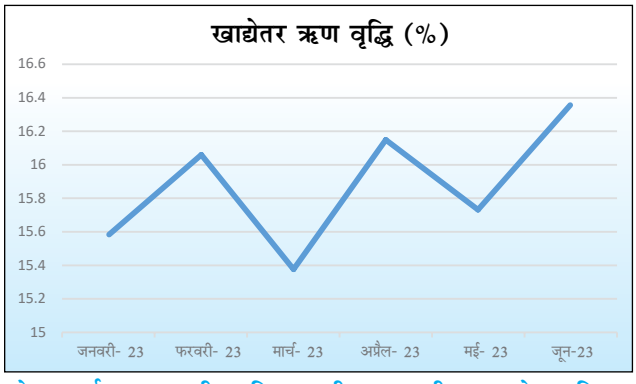

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई, 2023

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

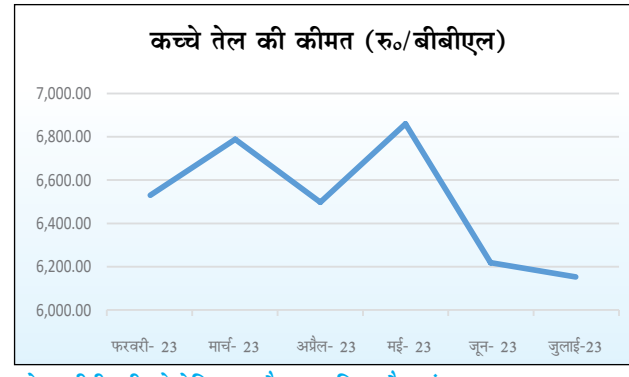

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

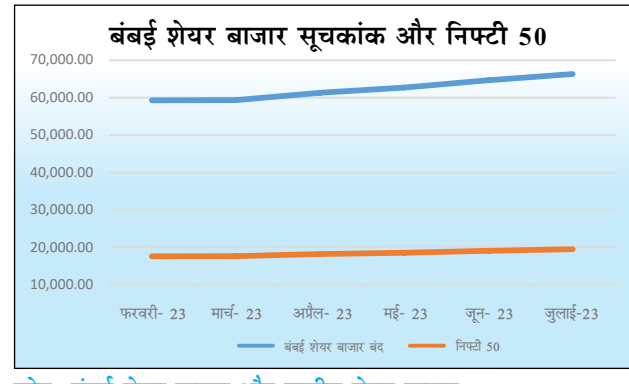

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in